दिनांक 09.10.2018 को आयोजित आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त

दिनांक 09.10.2018 को आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित की गयी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की समीक्षा की गई तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थिति मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों को निम्न निर्देश दिये गयेः–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

1– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने की धीमी प्रगति को लेकर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिया गया कि अगले एक सप्ताह में प्रत्येक दशा में ऐसे आवासों में जिन्हें प्रथम किश्त अवमुक्त किये एक माह से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया है, उन्हें द्वितीय किश्त अवमुक्त करते हुए अक्टूबर माह में प्रत्येक दशा में आवास पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जनपद–बांदा, गाजीपुर, बहराइच, आजमगढ़, कानपुर देहात, जौनपुर, सीतापुर, कुशीनगर, आगरा, हरदोई प्रतापगढ़ एवं बरेली आदि जनपदों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं पाई गयी तथा उन्हें तेजी से द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये।

2– प्रथम किश्त अवमुक्त करने के लिए अभी भी 8000 आवास का लक्ष्य अवशेष है, जिसके संबंध में खराब प्रगति वाले जनपद कुशीनगर, बांदा, शाहजहांपुर, मथुरा, कन्नौज, हरदोई, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, बदांयू, सम्भल, आजमगढ़, भदोही, बहराइच, एटा, बरेली, मुरादाबाद एवं फर्रूखाबाद को तत्काल शतप्रतिशत प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3– गत वर्षो के अधूरे प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास एवं लोहिया ग्रामीण आवास को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देश दिया गया कि मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों के परफार्मेस इन्डीकेटर में अधूरे आवासों की पूणर्ता एक महत्वपूर्ण बिन्दु होगा जिसके आधार पर अधिकारियों के मूल्यांकन में श्रेणी निर्धारित करने का निर्णय लिया जायेगा।

4– आवास+एप के माध्यम से छूटे हुए लाभार्थियों का विवरण तेजी से आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। समस्त मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा इसकी समय सीमा बढ़ा दी गयी है। समस्त जनपद दिनांक 30.10.2018 तक समस्त छूटे हुए लाभार्थियों का विवरण आवाससाफ्ट पर अपलोड कराना सुनिष्चित करें।

5– प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आधार सीडिंग की प्रगति वर्ष 2017–18 में 49 प्रतिशत, 2016–17 में 81 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 में 94 प्रतिशत है, समस्त मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में आधार सीडिंग की कार्यवाही नियमानुसार शतप्रतिशत सुनिश्चित की जाय।

6– मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी काफी संख्या में लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किया जाना शेष है। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। प्रत्येक दशा में जनपद आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रथम किश्त अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें तथा जिन आवासों का निर्माण प्लिंथ स्तर तक पूर्ण हो गया है उनकी द्वितीय किश्त की मांग मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

7– समस्त मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों को निर्देशित किया गया कि नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किये जाने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम हेतु अभी से तैयारी करना सुनिश्चित करें तथा

आवासों को शतप्रतिशत पूर्ण कराना माह अक्टूबर तक सुनिश्चित करें ताकि माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित गृह प्रवेश का आयोजन शतप्रतिशत किया जा सके।

मनरेगा

समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मरनेगा योजनान्तर्गत अति निर्धनतम व्यक्तियों का सर्वे कराकर उनके जॉब कार्ड बनाये जाएं तथा उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके।

बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल के जिलों में अभियान चलाकर अधिक से अधिक जॉबकार्ड धारकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

समस्त मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जा रहे जीविकोपार्जन के परम्परागत कार्यों को बढ़ावा देते हुए उनके विपणन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायें तथा स्वयं सहायता समूहों को एक जिला एक उत्पाद से भी आच्छादित किया जाए।

मिशन अन्त्योदय

समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मिशन अन्त्योदय में अपलोडिंग का कार्य 03 दिन के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

आई0जी0आर0एस0

समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आई0जी0आर0एस0 के प्रकरण अत्यधिक संख्या में पुराने या डिफाल्टर की श्रेणी में हैं उन्हें तत्काल निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(नागेन्द्र प्रसाद सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रांकः 1268/बैठक सेल/पत्रा0 सं0–39/2018, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास ,उ0प्र0 शासन।
2–आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3–अपर मिशन निदेशक, यू0पी0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4–अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7–समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
8–समस्त संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय)।
9–समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
10–समस्त उपायुक्त/योजनाधिकारी, उ0प्र0।
12–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 लखनऊ को उक्त कार्यवृत्त वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
13–गार्ड फाइल।

(आर0एन0 सिंह)
उपायुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।